न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 52 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. दुर्गाराम पुत्र हस्ताराम 2. पारू पत्नी हस्ताक्षराम जाति दर्जी निवासी राईकों का नाडा, आडेल तहसील सणिधरी जिला बाड़मेर	1. तगाराम पुत्र रावताराम फौत कायम मुकाम 1 / 1विशनाराम पुत्र तगाराम 1 / 2जमनादेवी पत्नी तगाराम 2. भंवराराम पुत्र रावताराम 3. कानाराम पुत्र रावताराम 4. देवा पुत्र डूंगरा 5. बांका पुत्र डूंगरा 6. लाला पुत्र सोना का.मुकाम 6 / 1उमीदेवी पुत्री लालाराम 6 / 2खेतू पुत्री लालाराम 6 / 3गंगाराम पुत्र लालाराम 6 / 4जोगाराम पुत्र लालाराम 6 / 5धरमाराम पुत्र लालाराम 6 / 6धाई पुत्री लालाराम 6 / 7धापूदेवी पुत्री लालाराम 6 / 8महेशकुमार पुत्र लालाराम 6 / 9समदा पत्नी लालाराम 6 / 10सालूराम पुत्र लालाराम 6 / 11हीराराम पुत्र लालाराम 7. रेखा पुत्र सोना 8. रागा पुत्र हस्ता जाति दर्जी निवासी राईको का नाडा, आडेल तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 9. शाखा मरूधरा ग्रामीण बैंक होडू 10. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 67/2016 बअनवान तगाराम वगैरा बनाम देवाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री डूंगरसिंह महेचा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नृसिंह सोलंकी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—13.07.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 14 के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा मोडाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 240 रका 08 बिस्वा, खसरा संख्या 241 रकबा 167.13 बीघा व खसरा संख्या 239 रकबा 119.07 बीघा के आये हुऐ है जिसमें वादीगण का खसरा संख्या 240, 241 में प्रत्येक का 1/8—1/8 हिस्सा व खसरा संख्या 239, 245 में प्रत्येक वादीगण का 1/4—1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। वादीगण का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांटस के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.01.2017 को पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में एकपक्षीय पारित की गई। पत्रावली सुनवाई हेतु कैम्प कोर्ट में नियत करने हेतु अपीलांटस को नोटिस नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिणधरी को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सिणधरी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार सिणधरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्तवा के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.01.2017 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की गई है अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। वंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सवूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 67/2016 बअनवान तगाराम वगैरा बनाम देवाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2018 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.09.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिभा पेलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर